(वाद संख्या–2727/15)

19.09.2019

मृत परिवादी की ओर से उनकी दो पुत्रियों में से एक पुत्री, उमरावती देवी, के पति, राम सदन सिंह, उपस्थित हैं।

प्रखंड विकास पदाधिकारी, नौबतपुर (पटना) श्री नीरज आनन्द उपस्थित हैं। उनकी ओर से वांछित प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

उभय पक्ष को सुना।

प्रस्तुत मामला परिवादी के देवर, स्व0 सुन्दर सिंह, के दो पुत्रों, विरेन्द्र कुमार व आनन्द कुमार व उनकी पुत्र–वधू, मीना देवी (आनन्द कुमार की पत्नी) द्वारा परिवादी महासुन्दरी देवी के जीवन–काल में ही उसका जाली मृत्यु प्रमाण–पत्र बनवाकर तथा उपरोक्त कथित आनन्द कुमार द्वारा अपने को परिवादी का पुत्र बताकर, परिवादी द्वारा स्त्री धन से अर्जित करीब दो एकड़ सत्रह डिसिमिल भूमि का अपने नाम से जाली दाखिल–खारिज करवाने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में परिवादी की ओर से माननीय पटना उच्च न्यायालय में CWJC संख्या–5038/2014 दाखिल किया गया, जिसमें जिलाधिकारी–सह–समाहर्त्ता की ओर से तथा स्वयं अपनी ओर से तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, नौबतपुर, श्रीमती वर्षा तरेब, द्वारा प्रतिशपथ–पत्र दाखिल किया गया जिसमें उनका कथन है कि मुख्य सचिव, बिहार के निर्देश पर अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर/ तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, नौबतपुर तथा प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, नौबतपुर द्वारा स्थल पर पहुँचकर मामले से संबंधित जांच किया गया तथा उनके द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया कि, जांच की तिथि (दिनांक 30.05.2014) को परिवादी जीवित थी तथा वह अपनी एक पुत्री व दामाद के साथ रह रही थी। जांच प्रतिवेदन में यह भी उल्लेखित किया गया है कि परिवादी के देवर, स्व0 सुन्दर सिंह, उनके दो पुत्रों वीरेन्द्र कुमार व आनन्द कुमार तथा आनन्द कुमार की पत्नी, मीना कुमारी, द्वारा परिवादी की सम्पत्ति को हड़पने के एकमात्र उद्देश्य से, परिवादी के जीवन काल में ही परिवादी का जाली मृत्यु प्रमाण–पत्र बनवाया गया, जिसमें जो दो कर्मी संलिप्त थे उनकी मृत्यु हो चुकी है। बाद में प्रखंड विकास पदाधिकारी, नौबतपुर द्वारा दिनांक 14.05.2015 को परिवादी के जाली मृत्यु प्रमाण–पत्र को रद्द कर दिया गया। प्रतिशपथ पत्र में तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, नौबतपुर द्वारा न्यायालय को आश्वस्त किया गया कि परिवादी के सभी शिकायतों के समाधान हेतु आवश्यक कार्रवाई, सम्बन्धित पक्षों द्वारा

की जा रही है। उक्त के आलोक में प्रसंगाधीन रिट याचिका का निस्तारण कर दिया गया।

परिवादी की ओर से उसके दामाद का कथन है कि परिवादी के जाली मृत्यु प्रमाण–पत्र के आधार पर परिवादी के देवर के एक पुत्र आनन्द कुमार द्वारा अपने को परिवादी का पुत्र बताकर अपने निम्नलिखित दस्तावेजों में **अपने पिता के नाम में फर्जीवाड़ा कर परिवादी के पति, स्व0 कैलाशपति सिंह, का नाम दर्ज करवा लिया गया है जबकि वास्तव में उसके पिता का नाम स्व0 सुन्दर सिंह है।** परिवादी की ओर से उन दस्तावेजों में तदनुसार संशोधन कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

1. मतदाता सूची
2. मध्यमा परीक्षा 1964 का प्रमाण–पत्र
3. सेवा प्रमाण–पत्र 2008
4. वंशावली
5. आय प्रमाण–पत्र
6. भू–स्वामित्व प्रमाण–पत्र
7. निवास प्रमाण–पत्र
8. आधार कार्ड
9. पंजी–2

उपस्थित प्रखंड विकास पदाधिकारी, नौबतपुर द्वारा आयोग को बताया गया कि उनकी ओर से गलत रूप से बनाये गये वंशावली, आय प्रमाण–पत्र, भू–स्वामित्व प्रमाण–पत्र, निवास प्रमाण–पत्र, वोटर लिस्ट, पंजी–2 में स्वयं अपने स्तर से, आनन्द कुमार के पिता का नाम स्व0 कैलाशपति सिंह के स्थान पर स्व0 सुन्दर सिंह संशोधित कर/करवा दिया जायेगा। शेष दस्तावेजों में संशोधन, मृत परिवादी की ओर से उनकी पुत्री या पुत्री के पति द्वारा अपने स्तर से कराया जाय। उपस्थित परिवादी के पुत्री के पति इस पर सहमत है लेकिन उनका कथन है कि शेष दस्तावेजों में संशोधन हेतु जिला पदाधिकारी, पटना का सहयोग अपेक्षित है। परिवादी के उक्त अनुरोध पर **आयोग द्वारा आनन्द कुमार द्वारा जाली बनाये गये दस्तावेजों के संशोधन के कार्य में जिला पदाधिकारी, पटना को अपेक्षित सहयोग प्रदान करने हेतु निर्देश दिया जाता है।**

कार्यालय, आज पारित आदेश की एक प्रति जिला पदाधिकारी, पटना/अनुमण्डल पदाधिकारी, दानापुर/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नौबतपुर तथा परिवादी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

आज परिवादी तथा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नौबतपुर की उपस्थिति में आदेश पारित किया गया है। अतः अगली निश्चित तिथि–11.11.2019 की सूचना के संबंध में उन्हें सूचित करने की आवश्यकता नहीं है।

अगली निश्चित तिथि को **अनुपालन प्रतिवेदन के साथ प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नौबतपुर आयोग के समक्ष उपस्थित रहेंगे** तथा परिवादी की ओर से भी उक्त तिथि को उनके दामाद उपस्थित रहेंगे।

सुनवाई हेतु संचिका दिनांक–11.11.2019 को उपस्थापित किया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

सहायक निबंधक